—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 16/2017

उनवान

1. धर्मा पुत्र मेंदू जाति रावत निवासी ग्राम चाट सरदारपुरा, नसीराबाद
——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. पार्वती पत्नी ओमप्रकाश जाति रावत निवासी ग्राम चाट सरदारपुरा, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
——प्रतिवादीगण :— 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 8/4/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाट सरदारपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 1319 रकबा1—6—10 व 1320 रकबा 0—19—0 के हाल खसरा नम्बर 404/0.04, 406/0.11, 408/0.05 व 409/0.16 की आराजी वादी की पुश्तैनी है। उक्त आराजी मौखिक बंटवारा अनुसार वादी के कब्जे की है। वंर्किग खसरा नम्बर 1321 के हाल खसरा नम्बर 405 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की क्रयशुदा है। प्रतिवादी संख्या 1 अपनी क्रयशुदा आराजी पर ही काबिज है, किन्तु हाल नक्शें में गलत तरमीम के कारण प्रतिवादी संख्या 1 वादी क हाल खसरा नम्बर 404 पर निर्माण करने पर आमादा है। बंदोबस्त विभाग द्वारा हाल राजस्व मानचित्र का इन्द्राज पूर्व अनुसार ही करना चाहिये था। अतः आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र पूर्व अनुसार दुरूस्त कर प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पांबंद किया जावे

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 405 वंर्किग खसरा नम्बर 1321, 1320 व 1328 से मिलकर बना है। वर्तमान में इसे दक्षिण—पूर्व कोने में दर्शाया है तबकि उक्त खसरा नम्बर 405 के वंर्किग खसरा नम्बर 1320 के उत्तरी पूर्वी कोने में स्थित था। उक्त तरमीम करने से हाल खसरा नम्बर 412 के खातेदार अजमेर विकास प्राधिकरण के हित प्रभावित होते है। उक्त सभी को पक्षकार बाया जाना उचित होगा।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा का [illegible] त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरूस्ती का अधिकारी है ? —— वादी
2. आया वाद अपूर्ण पक्षकार के [illegible] है ? ——

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:06:37 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

ग्राम चाट सरदारपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 1319 रकबा1–6–10 व 1320 रकबा 0–19–0 के हाल खसरा नम्बर 404/0.04, 406/0.11, 408/0.05 व 409/0.16 की आराजी वादी व अन्य व्यक्तियों की सह खतेदारी में है। वादी का कथन है कि उक्त आराजी मौखिक बंटवारे में उसके हिस्से में आयी है, किन्तु इसके समर्थन में वादी द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। वादग्रस्त आराजी पर अन्य सहखातेदार का भी हित निहित है। राज. पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार उक्त तरमीम करने से हाल खसरा नम्बर 412 के खातेदार अजमेर विकास प्राधिकरण के हित प्रभावित होते है। उक्त सभी को पक्षकार बाया जाना उचित होगा। उक्त जवाब पेश होने के बाद पैरोकार द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर तनकी कायम की गयी किन्तु वादी द्वारा इसके उपरान्त भी हितबद्ध खातेदार/सहखातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि प्रकरण में सभी हितबद्व व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में वादी राजस्व मानचित्र दुरूस्त करवाने का अधिकारी नही है। तनकी वियद्व वादी बहक प्रतिवादी संख्या 2 निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:06:37 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

धर्मा बनाम पार्वती

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 16/2017
पेश करने की दिनांक – 01.02.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक ४ माह ५ सन् **2025** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:06:37 IST
Reason: SelfAttested